14

ग्रामीण भारत में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ

डॉ. विजय प्रकाश शर्मा

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.160-166
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

यह अध्याय सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं और ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को विश्लेषित करता है। परिवर्तन को प्रकृति का शाश्वत नियम मानते हुए इसमें विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण भारत में सामुदायिक विकास, पंचायती राज, औद्योगीकरण और नीतिगत पहलों के प्रभाव का विवेचन किया गया है। अध्याय स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात् ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निरंतरता और उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इसमें वर्तमान में लागू योजनाओं की भूमिका और जनसहभागिता के महत्व पर भी चर्चा की गई है, जो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक है।

मुख्य शब्द: परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वैश्वीकरण

परिवर्तन की प्रक्रियाएँ

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर सुबह एक नया परिवर्तन लेकर आता है। आज की चिंतन धारा में सामाजिक परिवर्तन पर शोध प्रबल रूप से उभरा है, मनुष्य और उसकी सामाजिक संस्थाएं समय के साथ-साथ विकसित हुई हैं। इस विकास की प्रक्रिया में मनुष्य एवं उसकी संस्थाएं अनगिनत परिवर्तनों के दौर से गुजर चुकी हैं, और आगे भी यह क्रम चलता रहेगा।

विज्ञान एवं तकनीक के विकास ने प्रकृति आधारित मानव जीवन को नई शक्ति प्रदान की है। विश्व एक लघु दायरे में आ गया है, क्योंकि यातायात की आधुनिक सुविधाओं ने देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है।

अब 'वैश्विक ग्राम' की चर्चा होने लगी है। संचार क्रांति ने टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन के माध्यम से दूरी को ड्राइंग रूम में समेट दिया है। इसमें एक-दूसरे को समझने की क्षमता का विकास हुआ है, पूर्वाग्रह में कमी आ रही है, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भू-भागीय दूरियाँ सिमट गई है। स्वास्थ्य उपकरणों में एवं शल्य चिकित्सा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, जिससे मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हुई है जो पहले संभव नहीं था। इससे आज के मानव में सुंदर भविष्य, सुखमय भविष्य की आशाएं जागृत हुई हैं।

इस सब के बावजूद, आज का आदमी भयाक्रांत भी हो गया है, क्योंकि उसके द्वारा विकसित तकनीक शक्ति ने उसे नाभिकीय युद्ध) के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है, गलत उपयोग से संपूर्ण विनाश की संभावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। दूसरे प्रकार का भय अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती दूरी है, गरीबों का दोहन रुका नहीं है। तीसरे प्रकार का भय धर्मन्धता जनित आतंकवाद है। राज्यों, धर्मों आदि के पूर्वाग्रह बढ़ रहा है, समाजिक विभेद समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा लगता है, कि जैसे-जैसे मनुष्य की तकनीकी शक्ति बढ़ती जा रही है, उसकी सामाजिक चेतना विलुप्त होती जा रही है। इस विडंबना ने सामाजिक परिवर्तन की सत्यता को समझने की अहमियत बढ़ा दी है, अतः सामाजिक सत्य और बदलते सामाजिक व्यवस्था को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन की दिशा और दशा को समझा जा सके। ग्रामीण भारत के संदर्भ में हो रहे परिवर्त्तन की इन सामाजिक प्रक्रियाओं को निम्नलिखित दस मुख्य कारकों के रूप में समझा जा सकता हैः-1. हिन्दूत्व ग्रहण 2. जनजाति करण 3. ईस्लामी करण 4. औधोगीकरण एवं नगरीकरण 5. आधुनिकीकरण 7. पुनर्नवीकरण 8. ख्रीस्ती करण 9. उदारीकरण और 10. वैश्वीकरण

इतिहास: स्वतंत्रतापूर्व- ग्रामीण विकास के इतिहास पर डॉ0 सुभाष चंद्रा ने प्रकाश डालते हुए लिखा है- कि आधुनिक भारत में ग्रामीण विकास की संकल्पना ब्रितानी शासनकाल में 1930 में बंगाल के सुदरवन में सर डेनियल हैमिल्टन ने प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया तदुपरांत 1920 में रवींद्रनाथ ठाकुर ने शान्तिनिकेतन प्रयोग किया, 1921 में ब्रायन ने गुड़गांव प्रयोग किया, कृष्णामाचारी ने बड़ौदा पुनर्निर्माण आंदोलन के माध्यम से 1930 के दशक में काम किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने 1936 में गुजरात में 'सेवाग्राम' की संकल्पना विकसित की तथा 1946 में मद्रास में 'फिरका' विकास योजना का आरंभ मील के पत्थर सिद्ध हुए।

स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948-52 के दशक में ग्रामीण पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसे अलबर्ट मेयर ने 'ईटावा परियोजना' के नाम से(1947-48) में प्रारंभ किया, जिसे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहा जा सकता है। डेढ़ वर्ष के सफल प्रयास ने एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया जिसमें पहली बार ग्रामीण स्तर तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पहुंचाया गया। विभिन्न भागों के

कार्यक्रमों को एक सामान्य एजेंसी के माध्यम से संचालित किया गया तथा पहली बार 'बहुद्देशीय ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई।

1947-48 में ही कृषि उत्पाद वृद्धि हेतु अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परंतु यह सुचारु रुप से चल नहीं पाया फलतः इस के क्रियाकलापों के मूल्यांकन हेतु एक समिति बनाई गई, जिसने 1952 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा बहुत से सुझाव दिए। इस सुझावों के आलोक में भारत सरकार ने 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। कमिटि रिपोर्ट तथा 'इटावा पायलट प्रोजेक्ट' को ध्यान में रखते हुए, 1953-60 में अमेरिकी वित्तीय सहायता (फोर्ड फाउंडेशन) के माध्यम से 15 पायलट प्रोजेक्ट सामुदायिक विकास हेतु प्रारंभ किए गए। इसके बाद 1952 में 'इंडो-अमेरिकन टेक्निकल ऑपरेशन एग्रीमेंट' के माध्यम से अक्टूबर 1952 में 55 जिलों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हेतु हुआ।

यहां यह बताना जरूरी है कि इस परियोजना के तहत अमेरिकी मानवशास्त्रियों तथा भारतीय मानवशास्त्रियों ने मिलकर भारत में ग्राम्य-अध्ययन प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास में सामुदायिक विकास का ढांचा तैयार करना था। इन अध्ययनों के आधार पर बाद में 'पंचवर्षीय योजना' का कार्यक्रम तय किया गया। इन प्रारंभिक प्रयासों के बाद ग्रामीण विकास को दिशा तथा गति मिलना प्रारंभ हो गया और फिर निम्नलिखित बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जिसने पूर्व के प्रयासों का आकलन करने के बाद अपनी संस्तुति सरकार को सौंपी जिसमें शासन के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात उठाई गई और 'पंचायती राज' प्रारंभ किया गया।

इस पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। पहला 'जिला परिषद' दूसरा प्रखंड स्तर पर 'पंचायत समिति' और तीसरा गांव स्तर पर 'ग्राम पंचायत'।

इस प्रणाली की प्रशासन व्यवस्था हेतु निम्नलिखित तीन संरचनाएं बनी-

1. पंचायती राज
2. सीधी रेखिय सेवक, जैसे बी.डी.वो
3. विशेषज्ञ जैसे विभिन्न विभागों के एक्सटेंशन ऑफिसर

इसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई ताकि ग्रामीण कार्य को गति प्रदान किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास तथा एम.ई.ओ को ग्रामीण जमीन के उत्थान हेतु एकीकृत मान लिया गया। 1958 में कृषि प्रशासन समिति का गठन किया गया। जिसने अपने प्रतिवेदन में कृषि विभाग की कार्यशैली में सुधार की बात उठाई। यहां से ग्रामीण विकास की दशा और दिशा दोनों में सुधार होना प्रारंभ हो गया, तदुपरांत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाएं गये और चलाये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की आवश्यकता

ग्रामीण विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कृषि विकास आर्थिक एवं सामाजिक अंतर संरचना, उचित मजदूरी, गृह निर्माण, ग्राम आधारित योजना का निर्माण, जन स्वास्थ्य शिक्षा, प्रकार्यात्मक साक्षरता तथा संचार मुख्य विभाग हैं। भारत में ग्रामीण विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है इस अवस्था के निम्नलिखित कारण है-

1. भारत की अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है अतः राष्ट्रीय विकास हेतु ग्रामीण विकास आवश्यक है।
2. भारत की कुल राष्ट्रीय आय लगभग 50 प्रतिशत कृषि पर आधारित है जो भारत का मुख्य पेशा है।
3. लगभग 70 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या कृषि कार्य के माध्यम से रोजगार प्राप्त करती है।
4. उद्योग के लिए सबसे अधिक समाग्री कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होती है
5. औद्योगिक जनसंख्या वृद्धि को तभी न्यायोचित माना जा सकता है जब ग्रामीण जनसंख्या की क्रय शक्ति बढ़ाकर समर्थ बनाया जाए ताकि औद्योगिक उत्पाद की खपत हो सके।
6. शहरी अभिजात्य एवं ग्रामीण गरीबों में बढ़ती दूरी राजनीतिक अस्थिरता को आमंत्रित कर सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ग्रामीण विकास हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है-

1. संपूर्ण सर्वांगीण ग्रामीण विकास हेतु संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, तकनीक तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का विकास।
2. ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार के उपाय।
3. ग्रामीण युवा बच्चे तथा महिलाओं का विकास कार्यक्रम।
4. ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन का शक्तिवर्धन ताकि मनोवैज्ञानिक कौशल ज्ञान और योग्यता का विकास हो।
5. ग्रामीण क्षेत्र में संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण।
6. ग्रामीण जनता को पेयजल, शिक्षा, यातायात, बिजली तथा संचार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को मुहैया कराना
7. ग्रामीण संस्थान यथा पंचायत, सरकारी समिति, डाक सेवा, बैंक एवं ऋण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
8. ग्रामीण हस्त कौशल को बढ़ावा देने हेतु हस्त कलाकार समुदाय यथा लोहार, कुम्हार, बढ़ाई, बुनकर को संरक्षण।
9. ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग का पुनरुद्धार।

10. कृषि पशुपालन तथा अन्य कृषि संबंधित कार्यों को बढ़ावा।
11. गैर-मजरूआ तथा टांड जमीन को कृषि भूमि में स्थानांतरण हेतु सिंचाई व्यवस्था एवं नई तकनीक के इस्तेमाल हेतु ग्रामीण जन जागरण कार्यक्रम।
12. भूमि संरक्षण हेतु विशेष योजना।
13. ग्रामीण जनता के लिए मनोरंजन, खेलकूद जैसे कार्यक्रम।
14. ग्रामीण बाजार सुविधा का विकास।
15. ग्रामीण क्षेत्र में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने संबंधित योजना को लागू करना।
16. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जन सेवा के अंतर को कम करना।
17. ग्रामीण जन सहभागिता को बढ़ावा देकर राज्य एवं देश के विकास से जोड़ना।
18. ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार सृजन।
19. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन।
20. ग्रामीण आबादी के विकास में आने वाली बाधाओं का समाधान करना इत्यादि।

नई सुबह

2014-15 से योजना आयोग का अस्तित्व बदलकर विकसित नीति आयोग हो गया है कार्यक्रम को नया नाम स्वरूप दिया जा रहा हैं नई सरकार की सत्ता में आने से ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तेजी आई है और निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं इन कार्यक्रमों की विशेषता यह है कि इनमें जन-सहभागिता बेहतर हो रही है जिसका पूर्ववर्त्ती कार्यक्रमों में अभाव था।

'सबका साथ सबका विकास' नारे के साथ प्रारंभ हुए नए ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2014-16 सेः-

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (जनवरी 2016)
3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (असंगठित मजदूरों के लिए)
4. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
6. निशुल्क गैस कनेक्शन योजना
7. स्वच्छ भारत अभियान

8. प्रखंड कौशल विकास योजना (जुलाई 2015)
9. मृदा स्वास्थ्य कार्ड
10. ग्राम उदय से भारत उदय (14 अप्रैल 2016)
11. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2016)
12. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना (16 अक्टूबर 2014)
13. सांसद आदर्श ग्राम योजना (11 अक्टूबर 2014)
14. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
15. प्रधानमंत्री आवास योजना
16. कृषक सुरक्षा योजना
17. ग्रामीण कौशल योजना
18. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
19. अटल पेंशन योजना

भारत के विकास के संकल्प के साथ 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ और जनता के प्रति जवाबदेह सरकार बनाने की प्रक्रिया चल पड़ी। प्रधानमंत्री ने गांव-गरीब और किसान फसल बीमा, किसानों को पेंशन, मजदूरों को 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर बीमा और पेंशन, जन-धन योजना द्वारा करोड़ों की बैंकिंग सेवा से जोड़ना, उज्ज्वला अभियान जिसके लिए एक करोड़ से अधिक लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी (मई 2016 तक), आर्थिक समावेशीकरण का नया दौर चला जिसके अंतर्गत जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उसका लाभ गरीबों तक पहुंचाएं, उन संस्थानों से गरीबों को लाभ मिले। इसके लिए जन-धन योजना के तहत बैंकों में खाते खोले गये हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधा गरीबों तक लाभ पहुंचाने का आधार कानून-बना। ग्रामीण आर्थिक विकास की ओर दूसरा कदम बढ़ाते हुए सरकार ने किसानों के लिए 'कृषि ऋण' को बढ़ाकर 9 लाख करोड़ कर दिया। किसानों के लिए कृषक सुरक्षा योजना शुरू हुई।

उपरोक्त नये ग्रामीण विकास योजनाओं को देखने से यह आशा जगती है कि बहुत सी योजनाएं दीर्घकालीन परिणाम और लक्ष्य को सामने रखकर बनाई गई हैं, ताकि उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकें। सरकार की निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। सभी गांव तक खाद्य सुरक्षा की बात भी चल रही है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने में सतत् प्रयत्नशील रहे और इन्हें पूरा करें तो ग्रामीण विकास की 'नई सुबह' अच्छे दिन ले आएंगीं।

निष्कर्ष

परिवर्तन की प्रक्रिया ने ग्रामीण भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से निरंतर नया स्वरूप प्रदान किया है। ऐतिहासिक कार्यक्रमों से लेकर हाल की सरकारी योजनाओं तक, सभी प्रयासों का लक्ष्य ग्राम समुदायों का सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार रहा है। तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने जहां अवसर उत्पन्न किए हैं, वहीं असमानता और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। अतः ग्रामीण विकास के लिए बहु-हितधारक सहभागिता और सतत् प्रयास आवश्यक हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय संसाधनों और जनशक्ति का उपयोग कर ही स्थायी और समावेशी परिवर्तन संभव है।

संदर्भ

- शर्मा.विजय प्रकाश. (2018). भारत में ग्रामीण विकास के सपने और वास्तविकताएँ, कल्पाज प्रकाशन, दिल्ली।
- शर्मा.विजय प्रकाश. (2018). ग्रामीण सामाजिक संरचना और ग्रामीण विकास, कल्पाज प्रकाशन, दिल्ली।
- शर्मा.विजय प्रकाश. (2018). भारत में ग्रामीण विकास का एक परिचय, जेन नेक्स्ट प्रकाशन, नई दिल्ली।
- शर्मा.विजय प्रकाश एवं अन्य. (2015). वैश्वीकरण- आदिवासियों के लिए लुप्त रास्ते, कल्पाज प्रकाशन, दिल्ली।
- मामोरिया चतुर्भुज और सिंह कोमल. (2023). ग्रामीण विकास, एसबीपीडी प्रकाशन. नई दिल्ली।